न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 129 / 2023 अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अजीता पुत्र खेता 2. जेठा पुत्र खेता 3. कुटली पत्नी बक्सा 4. लच्छा पुत्र बक्सा 5. वीरा पुत्र बक्सा 6. पुरखा पुत्र बक्सा 7. सगता पुत्र बक्सा 8. जोगाराम पुत्र द्वारकाराम 9. राधा पत्नी द्वारकाराम 10. मूला पुत्र नारणाराम 11. सरूपा पुत्र नारणाराम जाति कुम्हार, निवासी मण्डालिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. करनाराम पुत्र तिलोकाराम 2. गोविन्दाराम पुत्र तिलोकाराम 3. नखताराम पुत्र तिलोकाराम 4. पुरखाराम पुत्र तिलोकाराम 5. लाडूराम पुत्र तिलोकाराम जाति कुम्हार, निवासी मण्डालिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री देवीलाल कुमावत।
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.10.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा मण्डालिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 500/568 रकबा 19.2542 हैक्टेयर (119 बीघा) का आया हुआ है। जिस पर वादीगण का वक्त सेटलमेंट से निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर पुरानी रहवासी ढाणीया, पानी के टांके व पशुबाड़े आदि बने हुए है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही सेढा पड़ौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 500 रकबा 95 बीघा का आया हुआ है। वक्त सेटलमेंट से ही उक्त पृथक पृथक खसरा नम्बर कायम किये जाकर खातेदारान् के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। उक्त दोनों खसरा नम्बर को मिलाकर कुल रकबा 214 बीघा था। उक्त दोनों खसरा नम्बर का पर्चा लगान जारी करते समय भूलवंश खसरा नम्बर 500 का रकबा 95 बीघा के स्थान पर 214 बीघा दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 500 में वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त होने के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त खसरा नम्बर का पर्चा लगान वादीगण के पूर्वजों के नाम से जारी कर दिया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 500/568 का पर्चा लगान वादीगण के पूर्वजों के नाम से जारी नहीं होकर प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से जारी कर दिया गया, जबकि मौके पर कब्जा काश्त वादीगण व उसके पूर्वजों का चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज उक्त गलत इंद्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अपने अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे थे। वर्तमान मे अपनी खातेदारी की जमांबदी नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम वादीगण को ज्ञान हुआ कि उनकी खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन दर्ज है। वादीगण का वक्त सेटलमेंट से ही खसरा नम्बर 500 [illegible] रकबा 19.2542 हैक्टेयर अर्थात 119 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा [illegible] तथा प्रतिवादीगण का वक्त सेटलमेंट से ही खसरा नम्बर 500 रकबा 15.3780 हैक्टेयर अर्थात 95 बीघा पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का कब्जा 95 बीघा पर ही चला आ रहा है तथा इसी [illegible] ही लट्ठा नक्शा में तरमीम की हुई है परन्तु राजस्व जमाबंदी में खसरा नम्बर 500 का रकबा [illegible]0 हैक्टेयर अर्थात 214 बीघा का गलत रूप से अंकन किया हुआ है वर्तमान में राजस्व रेकर्ड [illegible] उक्त गलत अंकन के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जा रही है, जबकि प्रतिवादीगण को उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद मौजा मण्डालिया के खेत खसरा नम्बर 500 रकबा 214 बीघा को दुरस्त किया जाकर रकबा 95 बीघा करने तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

500 / 568 रकबा 119 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करने तथा खसरा नम्बर 500 रकबा 95 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी घोषित किये जाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए वादपत्र की इस्तदुआ अनुसार वाद को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर विवादित आराजी के खसरा नम्बर 500 / 568 रकबा 119 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करने तथा खसरा नम्बर 500 में दर्ज गलत रकबा 214 बीघा के स्थान पर सही रकबा 95 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। उक्त विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में खसरा नम्बर 500 व 500 / 568 का कुल रकबा 50.0190 हैक्टेयर दर्ज है जबकि राजस्व नक्शे मे रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 34.6410 हैक्टेयर ही है। मौके पर खसरा नम्बर 500 / 568 के खातेदार खसरा नम्बर 500 में काबिज है तथा खसरा नम्बर 500 के खातेदार खसरा नम्बर 500 / 568 में काबिज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर के खातेदार वक्त सेटलमेंट से इसी स्थान पर काबिज है तथा मौके पर दोनों परिवारों के पक्के मकान बने हुए है। रेकर्ड में खसरा नम्बर 500 / 568 का रकबा 15.3780 हैक्टेयर दर्ज है जो सही अंकित है जबकि खसरा नम्बर 500 का रकबा 34.6410 हैक्टेयर दर्ज है जो गलत अंकित होने से उक्त खसरा नम्बर का रकबा 19.2630 हैक्टेयर किया जाना उचित बताया गया है। मौके पर उपस्थित उभयपक्षकारान् द्वारा नक्शा व रकबा परिवर्तन में आपसी सहमति भी प्रदान की गई है। उक्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट में रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे भिन्नता होने पर पुनः सम्पूर्ण गांव के खसरा नम्बर की रकबा बरारी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें ग्राम मण्डालिया की जमाबंदी में कुल रकबा 921.3301 हैक्टेयर दर्ज है जबकि नक्शानुसार समस्त ग्राम की रकबा बरारी करने पर रकबा 898.5626 हैक्टेयर पाया गया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा व मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर मौजा मण्डालिया के खेत खसरा नम्बर 500 / 568 रकबा 119 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करने तथा खसरा नम्बर 500 में दर्ज गलत रकबा 214 बीघा के स्थान पर सही रकबा 95 बीघा दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी घोषित किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार रेकर्ड दुरस्ती एवं खातेदारी घोषणा हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा उक्त वाद मौजा मण्डालिया के खेत खसरा नम्बर 500 रकबा 214 बीघा को दुरस्त किया जाकर रकबा 95 बीघा करने तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 500 / 568 रकबा 119 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करने तथा खसरा नम्बर 500 रकबा 95 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में खसरा नम्बर 500 व 500 / 568 का कुल रकबा 50.0190 हैक्टेयर दर्ज है जबकि राजस्व नक्शे मे रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 34.6410 हैक्टेयर ही है। मौके पर खसरा नम्बर 500 / 568 के खातेदार खसरा नम्बर 500 में काबिज है तथा खसरा नम्बर 500 के खातेदार खसरा नम्बर 500 / 568 में काबिज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर के खातेदार वक्त सेटलमेंट से इसी स्थान पर काबिज है तथा मौके पर दोनों परिवारों के पक्के मकान बने हुए है। रेकर्ड में खसरा नम्बर 500 / 568 का रकबा 15.3780 हैक्टेयर दर्ज है जो सही अंकित है जबकि खसरा नम्बर 500 का रकबा 34.6410 हैक्टेयर दर्ज है जो गलत अंकित होने से उक्त खसरा नम्बर का रकबा 19.2630 हैक्टेयर किया जाना उचित बताया गया है। मौके पर उपस्थित उभयपक्षकारान् द्वारा नक्शा व रकबा परिवर्तन में आपसी सहमति भी प्रदान की गई है। साथ ही रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे भिन्नता होने पर पुनः सम्पूर्ण गांव के खसरा नम्बर की रकबा बरारी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें ग्राम मण्डालिया की जमाबंदी में कुल रकबा 921.3301 हैक्टेयर दर्ज है जबकि नक्शानुसार समस्त ग्राम की रकबा बरारी करने पर रकबा 898.5626 हैक्टेयर पाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रेकर्ड दुरस्ती बाबत् सहमति जवाबदावा पेश किया गया है तथा उभयपक्ष खातेदारान् द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा भी पेश किया गया है। वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

उक्त वाद में चाहे गये अनुतोष की ताईद तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी हो रही है, जिसमें रेकर्ड में खसरा नम्बर 500 व 500/568 का कुल रकबा 50.0190 हैक्टेयर दर्ज है जबकि राजस्व नक्शे मे रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 34.6410 हैक्टेयर ही होने पर रेकर्ड में खसरा नम्बर 500/568 का रकबा 15.3780 हैक्टेयर दर्ज है जो सही अंकित है जबकि खसरा नम्बर 500 का रकबा 34.6410 हैक्टेयर दर्ज है जो गलत अंकित होने से उक्त खसरा नम्बर का रकबा 19.2630 हैक्टेयर दुरस्त किया जाना उचित बताया गया है। साथ ही मौके पर खसरा नम्बर 500/568 के खातेदार खसरा नम्बर 500 में काबिज है तथा खसरा नम्बर 500 के खातेदार खसरा नम्बर 500/568 में काबिज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर के खातेदार वक्त सेटलमेंट से इसी स्थान पर काबिज होने तथा मौके पर दोनों परिवारों के पक्के मकान बने हुए होने से कब्जा पुख्ता होने की पुष्टि होती है। साथ ही उभयपक्ष खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा भी पेश किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा भी अपनी अपनी बहस में राजीनामा अनुसार एवं मौका रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड दुरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि की जमाबंदी में रेकर्ड दुरस्ती की जाकर तदनुसार खसरा नम्बर 500/568 को वादीगण की खातेदारी एवं खसरा नम्बर 500 को प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित की जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मण्डालिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 500 का राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में दर्ज रकबा 34.6410 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 19.2630 हैक्टेयर दुरस्त किये जाने के आदेश किये जाते है तथा खसरा नम्बर 500/568 रकबा 15.3780 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी तथा खसरा नम्बर 500 रकबा 19.2630 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि पूर्व में खसरा नम्बर 500 का रकबा दुरस्त करते हुए तदनुसार खातेदारी घोषणा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested